न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2022/14 दायर दिनांक 31.03.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू। –सायल–

बनाम

कैलाश कुमार गोयनका पुत्र स्व0 परमांनन्द गोयनका (मालिक) मै0 प्रकाश चन्द्र कैलाष कुमार, मुत्री मार्ग वार्ड नं0 43/57 चूरू जिला चूरू। –गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक 14.09.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै फूल सिंह बाजिया कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय स्तनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये. राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमाक एच/ पीएफए / नोटीफीकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 व एफएसएसए/ 2020/750 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र मे आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतिया न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.08.2021 को 2.40 पी.एम. पर मै० प्रकाश चन्द्र कैलाश कुमार, मंत्री मार्ग वार्ड नं0 43 / 57 चूरू जिला चूरू पर पहुचा। वहा पर श्री कैलाश कुमार गोयनका मालीक की हैसियत से मिला। मैसर्स में उपलब्ध स्टॉक में 5X1 Ltr. घी (महान ब्राण्ड) बेचने हेतु पाया गया मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया विकता से पूछने पर बताया की खाद्य पदार्थ ग्राहकों को बेचने का कार्य करता हूँ।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री कैलाश कुमार गोयनका को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरिक्षण करने पर खाद्य पदार्थ घी (महान ब्राण्ड) में मिसब्राण्डेड अमानक व अनसेफ की शंका होने पर घी (महान ब्राण्ड) की एक लिटर पैकिंग मे से खोलकर 800 ग्राम वास्ते जाच नगना खरीद किया । जिसकी कीमत विक्रेता श्री कैलाश कुमार गोयनका को 350/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामुदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (महान ब्राण्ड) को 04 साफ–सुखी प्लाटिक बोतलों मे बराबर–बराबर 200 ग्राम–200 ग्राम प्लास्टीक की बोतलों में डालकर नमूनें के चार भाग बनाये चारों भागो पर लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूने के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–2708 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण खाद्य पदार्थ की किस्म दिनांक नमूना लेने का स्थान, अंकित किए लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारों नमूना के भागों को अलग अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनों सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–2708 नियमानुसार चारों नमुना पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूने के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप रेपर दोनों पर आयें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावे नमूना के चारों भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान खाद्य पदार्थ की किस्म अकित कि गई एवं मैने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर व्यापारी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं मैने हस्ताक्षर किये। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जिसके द्वारा मैने नमूना सील किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुन नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील पडी लगाकर सील बन्द किया एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विष्लेशक राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफे मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कमर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक – 345 दिनांक 13.09.2021 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विष्लेशक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./999/एक्ट/2021/982 दिनांक 01.09.2021 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ **घी (महान ब्राण्ड). अनसेफ फूड under section 3(1)(zz)(iv) and 3(1)(zz)(xi)** होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि आवेदक कैलाश कुमार गोयनका द्वारा उक्त जांच से सन्तुष्ट नहीं होने पर फार्म नं० 08 द्वारा अपील की गयी की सेम्पल का द्वितिय भाग रेफरल फूड लेबोरट्री से जांच करवाने हेतु नमूना के द्वितिय भाग को रेफरल फूड लेबोरट्री मेसूर भेजा गया जाहा से जिसकी रिपोर्ट के अनुसार cetificat no- 967F/ FSSA/2021 दिनांक 10.12.2021 के अग्रेषण क्रमांक– 527 दिनांक 22.12.2021 के अनुसार भी खाघ पदार्थ **घी (महान ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड** होना पाया गया जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलगन है।
9. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म के मालीक को फर्म के मालिक/नोमीनी एवं माल खरीद का बिल के लिये पत्र लिखे गये थे पत्र क्रमांक 01 दिनांक 07.02022 पत्र क्रमांक 51 दिनांक 27.01.2022. पत्र कमांक 75 दिनांक 07.02.2022. एवं पत्र क्रमांक 147 दिनांक 02.03.2022 लिखा गया है जिसका उक्त फर्म ने आज दिनांक तक कोई जबाब इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया उक्त पत्र न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलगन है।
10. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांकः एफएसएसए/2021/231 दिनांक 28.03.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
यह कि उक्त प्रकरण में कैलाश कुमार गोयनका ने खाद्य पदार्थ **घी (महान ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल को दिनांक 29.07.2022 को तामिल होने के उपरान्त भी ना गैरसायल और ना ही गैरसायल की ओर से कोई हाजीर आया। श्रीमान मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के पत्रांक प. 1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020/354 दिनांक 20.12.2021 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रकरणों को 90 दिवस की अवधि में निस्तारण करने के निर्देश दिये गये हैं। इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **घी (महान ब्राण्ड)** का सेम्पल नं. एल–2708 FOOD रिपोर्ट संख्या एल.एस./989/एक्ट/2021/982 दिनांक 01.09.2021 के अनुसार **Unsafe Food** पाया गया है। गैरसायल कैलाश कुमार गोयनका द्वारा उक्त जांच से सन्तुष्ट नहीं होने पर फार्म नं० 08 द्वारा अपील की गयी की सेम्पल का द्वितिय भाग रेफरल फूड लेबोरट्री से जांच करवाने हेतु नमूना के द्वितिय भाग को रेफरल फूड लेबोरट्री मेसूर भेजा गया। खाद्य प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार cetificat no- 967F/ FSSA/2021 दिनांक 10.12.2021 के अग्रेषण क्रमांक– 527 दिनांक 22.12.2021 के अनुसार भी खाद्य पदार्थ **घी (महान ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड** होना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **घी (महान ब्राण्ड)** की रिपोर्ट संख्या एल.एस./989/एक्ट/2021/982 दिनांक 01.09.2021 से **Unsafe Food** (Under Section 3(1)(zz)(iv) and 3(1)(zz)(xi) of

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

FSS Act, 2006) as the ghee is substituted wholly by any inferior or cheaper sub-stances होना पाया गया है। गैरसायल कैलाश कुमार गोयनका द्वारा उक्त जांच से सन्तुष्ट नहीं होने पर फार्म नं० 08 द्वारा अपील की गयी की सेम्पल का द्वितिय भाग रेफरल फूड लेबोरट्री से जांच करवाने हेतु नमूना के द्वितिय भाग को रेफरल फूड लेबोरट्री मेसूर भेजा गया। खाद्य प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार cetificat no- 967F/ FSSA/2021 दिनांक 10.12.2021 के अग्रेषण क्रमांक– 527 दिनांक 22.12.2021 के अनुसार भी खाद्य पदार्थ **घी (महान ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड** होना पाया गया। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा **सबस्टेण्डर्ड** खाद्य पदार्थ विकय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को **सबस्टेण्डर्ड** खाद्य पदार्थ **घी (महान ब्राण्ड)** बेचने के कारण अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल कैलाश कुमार गोयनका पुत्र स्व0 परमांनन्द गोयनका (मालिक) मै0 प्रकाश चन्द्र कैलाष कुमार, मुत्री मार्ग वार्ड नं0 43/57 चूरू जिला चूरू को 4,00,000/– रूपये (चार लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरु
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू